पुन. 68/2022 लक्ष्मण / सुमित

11.1.24

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं कैवियटकर्ता वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 51/2022 नजूलवानी सुमित कु. बनाम कैलाश में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 5/5/2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील मे अपीलांट द्वारा मुख्याक्षेप आदेश 39 नियम 1 व 2 सि पी सी व सपठित धारा 151 सि पी सि के अन्तर्गत लिया गया है। दरवबत बहस उभयपक्ष ने स्वीकार किया है कि विचारण न्यायालय मे मूल पत्रावली अन्तर्गत धारा 212 अन्तिमबहस मे चल रही है। ये स्वीकृत तथ्य है कि धारा 212 का अन्तिम निस्तारण गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है। प्रस्तुत अपील में अभी तक न तो समस्त रेस्पो. की तलबी की कार्यवाही पूर्ण हुई है। न ही इस न्यायालय द्वारा इस स्तर पर धारा 212 के गुणावगुण पर कोई निर्णय किया जाना है। ऐसी स्थिति में जब विचारण-न्यायालय में धारा 212 की मूल-पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

लक्ष्मण / धूमिर   68/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	चल रही है तो अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश में इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अपितु प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय में धारा 212 के आवेदन का गुणावगुण पर निस्तारण होने के तथ्य को इंगित रखते हुए इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है, ताकि अन्तहीन न्यायिक प्रक्रिया में गुणावगुण पर निर्णय बाधित नहीं हो।	
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णय सरे-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	Sd/-	
	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)	